सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 26, गुरूवार, *शाके* 1944-नवम्बर 17, 2022	
Kartika 26, Thursday , Saka 1944- November 17, 2022	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, December 07, 2021

Subject: - Revision of Pay Scales of Teachers, Librarians and Physical Training Instructors of Government Polytechnic College (Engineering) and Teachers of Government Polytechnic College (Non-Engineering).

S.O.108 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules, prescribing revised pay (AICTE) for Teachers, Librarians and Physical Training Instructors of Government Polytechnic Colleges (Engineering) and Teachers of Government Polytechnic Colleges (Non-Engineering) and principles governing fixation of pay therein, namely: -

1. **Short title and commencement.–** (i) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay for Teachers, Librarians and Physical Training Instructors of Government Polytechnic Colleges (Engineering) and Teachers of Government Polytechnic College (Non-Engineering)) Rules, 2021.

   (ii) They shall be deemed to have come into force with effect from 01.01.2016

2. (i) These rules shall apply to Teachers, Librarian and Physical Training Instructors of Government Polytechnic College (Engineering) who are governed under the Rajasthan Technical Education (Engineering) Service Rules, 2010 as amended from time to time and Teachers of Government Polytechnic College (Non-Engineering) who are governed under the Rajasthan Technical Education (Non-Engineering) Service Rules, 2010 as amended from time to time and who are possessing requisite qualifications prescribed in AICTE Regulation, 2019.

   (ii) These rules shall not apply to existing Teachers as well to the Teachers appointed on or after 01.01.2016 of Government Polytechnic Colleges (Non-Engineering) who do not possess the requisite qualification as prescribed in AICTE Regulation, 2019. Pay to such Teachers shall be admissible under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017.

3. **Power of Interpretation.–** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government in the Finance Department whose decision thereon shall be final.

4. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,-

(i) **"Existing basic pay"** means pay drawn in the prescribed existing Running Pay Band and Academic Grade Pay, but does not include any other type of pay like Special Pay, etc.

(ii) **"Existing Running Pay Band and Academic Grade Pay"** in relation to Government servant means the Running Pay Band and the Academic Grade Pay applicable to the post held by him immediately before 01.01.2016.

(iii) **"Existing Government Polytechnic College (Engineering) Teacher"** means existing Teacher, Librarian and PTI of Government Polytechnic College (Engineering), who is in service on 1st January, 2016 and drawing pay in Running Pay Band and the Academic Grade Pay under the Rajasthan Civil Service (Revised Pay Scales for Government Polytechnic College Teachers, Librarians and Physical Training Instructors) Rules, 2010.

(iv) **"Existing Government Polytechnic College (Non-Engineering) Teacher"** means existing Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering), who is in service on 1st January, 2016 and drawing pay in Running Pay Band and the Academic Grade Pay under the Rajasthan Civil Service (Revised Pay Scales for Government Non- Engineering Polytechnic College Teachers) Rules, 2013 .

(v) **"Existing pay structure"** in relation to a Teachers, Librarians and PTIs of Government Polytechnic College (Engineering) means drawing pay in the Running Pay Band and Academic Grade Pay under Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales for Government Polytechnic College Teachers, Librarians and Physical Training Instructors) Rules, 2010 and Teachers of Government Polytechnic College (Non-Engineering) under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales for Government Non- Engineering Polytechnic College Teachers) Rules, 2013, applicable to the post as on the date immediately before the coming into force of these rules whether in a substantive or officiating capacity.

Explanation.- In the case of a Teacher, Librarian and Physical Training Instructor of Government Polytechnic College (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering) is on deputation out of India or on leave or on foreign service or one who would have officiated in one or more lower posts but for his officiating in a higher post, existing 'Running Pay Band and Academic Grade Pay' includes the scales applicable to the post which he would have held but for his being on deputation out of India or on leave or on foreign service or officiating in higher post.

(vi) **"Existing emoluments"** mean the sum of (i) existing basic pay and (ii) existing dearness allowance at index average as on 1st day of January, 2016 i.e. @ 125%.

(vii) **"Academic Level"** in the Pay Matrix shall means the Academic Level corresponding to the existing Running Pay Band and Academic Grade Pay as indicated in Schedule-I, II and III.

(viii) **"Pay Matrix"** means Matrix specified in Schedule-III, with Academic Levels of pay arranged in vertical cells as assigned to corresponding existing Running Pay Band and Academic Grade Pay;

(ix) **"Revised Pay Structure"** in relation to a post means the Pay Matrix and the Academic Level specified therein corresponding to the existing Running Pay Band and Academic Grade Pay as indicated in Schedule-III.

(x) **"Basic pay"** in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Academic Level in the Pay Matrix but does not include any other type of pay like Special Pay, etc.

(xi) **"Revised Emoluments"** mean the pay in the Academic Level in Pay Matrix of a Teacher, Librarian and PTI of Government Polytechnic College (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering) in the revised pay structure.

(xii) **"Schedule"** means Schedules appended to these rules.

(xiii) **"Regular Service"** means and includes service rendered by a Teacher, Librarian and PTl of Government Polytechnic College (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering) on his appointment after regular selection in accordance with the provisions contained in the relevant recruitment rules for that post. The period of service rendered on ad-hoc basis / urgent temporary basis shall not be counted as the regular service. In other words, the period of service which is countable for seniority shall only be counted as regular service.

(xiv) **"Special Allowance"** means the Special Allowance which shall be drawn with the Academic Level as indicated in Col. 6 of Schedule-I and II.

5. **Academic Level of Posts.–**As from commencement of these rules the Academic Level in the Pay Matrix for every post shall be as indicated in Col. 5 of Schedule-I and II.

6. Drawal of pay in the revised pay structure.– Save as otherwise provided in these rules, a Teacher, Librarian and Physical Training Instructor of Government Polytechnic Colleges (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering) shall draw pay in the Academic Level in the Pay Matrix applicable to the post which he is holding as on 01.01.2016 or to which he is appointed on or after 01.01.2016.

7. Option to elect the existing pay structure.-The Academic Level of post in the Pay Matrix given in the Schedule- I and II shall apply to every existing Teacher, Librarian and Physical Training Instructor of Government Polytechnic Colleges (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering) provided that he may elect to continue to draw pay in the existing pay structure until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing pay structure or until he vacates his post or ceases to draw pay in that time scale of pay.

Provided further that in cases where a Government servant has been placed in a higher academic grade pay between 1st January, 2016 and the date of notification of these rules on account of promotion or upgradation or CAS, the Government servant may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion or upgradation or CAS, as the case may be.

Explanation -The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post on or after the 1st day of January, 2016, whether for the first time in Government service or by transfer from another post and he shall be allowed pay only in the Academic Level of post in the Pay Matrix.

8. **Exercise of option.-**

(1) The Option under Rule 7 shall be exercised in writing in the form appended to these

rules, so as to reach the authority mentioned in sub-rule (2) of this rule within three months from the date of publication of these rules, provided that where a Teacher, Librarian and Physical Training Instructor of Government Polytechnic Colleges (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering) is under suspension or on leave or on training or on foreign service within India on the date of issue of these rules, the option may be exercised within three months from the date he takes over charge of the post.

(2) The option shall be intimated by a Government Polytechnic College (Engineering) Teacher including Librarian and PTI and Government Polytechnic College (Non-Engineering) Teachers in the prescribed form appended to these rules in the following manner:-

(A) if he is a Lecturer/ Librarian / PTI/ Head of the Department to the Principal of the concerned college.

(B) if he is a Principal/Joint Director/Assistant Director including those retired to the Accounts Officer of the Directorate of Technical Education.

(C) if he is a retired Teacher, Librarian and Physical Training Instructor of Government Polytechnic Colleges (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering) on the date of issue of these rules, but was a Teacher, Librarian and Physical Training Instructor of Government Polytechnic Colleges (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering) on 01.01.2016 to the Principal of the Government Polytechnic College wherefrom he retired or the Accounts Officer of the Directorate of Technical Education, as the case may be.

(3) (i) In case the intimation regarding option is not received within the time specified in sub-rule (1), the Teacher, Librarian and Physical Training Instructor of Government Polytechnic Colleges (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering) shall be deemed to have elected to draw pay under these rules with effect from 01.01.2016.

(ii) Where a Teacher, Librarian and Physical Training Instructor of Government Polytechnic Colleges (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering) expires before exercising option within the prescribed period or had expired before issue of these rules, he may be deemed to have exercised option in favour of the existing pay structure or revised pay structure under these rules, whichever is advantageous to him, and his pay shall be fixed accordingly.

(4) The option once exercised shall be final.

9. Fixation of initial pay of existing Teacher, Librarian and Physical Training Instructor of Government Polytechnic Colleges (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering) in Academic Level in the Pay Matrix.- The pay of a Teacher, Librarian and Physical Training Instructor of Government Polytechnic Colleges (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering) who elects or is deemed to have elected under rule 8 to be governed by the revised pay structure on and from the 1st January, 2016, shall, unless in any case the Governor by special order otherwise directs, be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds

a lien or would have held a lien if such lien had not been suspended, and in respect of his pay in the officiating post held by him, in the following manner, namely:-

(i) the pay in the applicable Academic Level in the Pay Matrix shall be the pay obtained by multiplying the existing basic pay by a factor of 2.57, rounded off to the nearest rupee and the figure so arrived at will be located in that Academic Level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Academic Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Academic Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Academic Level in the Pay Matrix.

(ii) If the minimum pay or the first Cell in the applicable Academic Level is more than the amount arrived at as per sub-clause (i) above, the pay shall be fixed at minimum pay or the first Cell of that applicable Academic Level in the Pay Matrix.

10. Increments in the Pay Matrix.—The increment shall be as specified in the vertical Cells of the applicable Academic Level in the Pay Matrix.

11. Date of next increment in revised pay structure.-

(1) There will be a uniform date of annual increment viz. 1st July of every year. Employees completing 6 months and above in any level in the Pay Matrix as on 1st July every year will be eligible for grant of annual increment. The first increment after fixation of pay under these rules as per option of the employee will be granted on completing 6 months by counting the period of service rendered in the existing Running Pay Band and in a level in the Pay Matrix in these rules.

(2) Every new recruit on completion of probation period successfully shall be allowed first annual increment on 1st July, which immediately follows the date of completion of probation period.

12. Amount of fixed remuneration for a Probationer-trainee.– A Probationer-trainee shall draw fixed remuneration during the period of probation training. Only on successful completion of period of probation training, he will be allowed pay in the revised pay structure. These provisions will be applicable to the existing Probationer-trainees as well as new recruits. The fixed remuneration shall be as indicated in Schedule - IV appended to these rules.

13. Fixation of pay in the revised pay structure of a Probationer-trainee completing probation training period successfully on or after 01.01.2016. – A Probationer-trainee on successful completion of probation training period will be allowed pay in the revised pay structure as per Schedule-III applicable to the post to which he is appointed at minimum of Academic Level (first Cell) in the Pay Matrix.

Provided that a Government servant who is already in regular service of the State Government, if appointed on the post of teacher / Librarian / PTI as a Probationer-trainee and has opted to draw pay of the previous post during probation, on successful completion of probation period his pay will be fixed in accordance with the provisions contained in Rule 26 of the Rajasthan Service Rules.

14. Fixation of pay on promotion on or after 01.01.2016.— The fixation of pay in case of promotion from one Academic Level to another in the revised pay structure shall be

made in the following manner, namely:-

One increment shall be given in the Academic Level from which the employee is promoted and he shall be placed at a Cell equal to the figure so arrived at in the Level of the post to which promoted and if no such Cell is available in the Academic Level to which promoted, he shall be placed at the next higher Cell in that Academic Level.

15 Dearness Allowance, House Rent Allowance and all allowances, facilities etc. if admissible shall be payable as per State Government Employees on the pay in the Academic Level in the Pay Matrix i.e. on basic pay. House Rent Allowance and City Compensatory Allowance shall be payable w.e.f. 01.10.2017.

16. Facilities like Government housing, etc., will be governed by the Academic Level corresponding to grade pay prescribed for Government servants under Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017.

17. **Removal of Pay Anomalies.-** In cases where a senior Teacher, Librarian and Physical Training Instructor of Government Polytechnic Colleges (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering) promoted to a higher post before 01.01.2016 draws less pay in the revised pay structure than his junior who is promoted to the higher post on or after 01.01.2016, the pay of senior Teacher, Librarian and Physical Training Instructor of Government Polytechnic Colleges (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering) in the revised pay structure shall be stepped up to an amount equal to the pay as fixed for his junior in that higher post and such stepping up shall be done with effect from the date of promotion of the junior Teacher, Librarian and Physical Training Instructor of Government Polytechnic Colleges (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering) subject to the fulfilment of the following conditions, namely:-

(a) Both the junior and the senior Teacher, Librarian and Physical Training Instructor of Government Polytechnic Colleges (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering) belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted are identical in the same cadre;

(b) The existing pay structure and the revised pay structure of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay are identical;

(c) The senior Teacher, Librarian and Physical Training Instructor of Government Polytechnic Colleges (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering) at the time of promotion are drawing equal or more pay than the junior;

(d) The anomaly is directly as a result of the application of the provisions of Rule 26A of Rajasthan Service Rules regulating pay fixation on promotion in the revised pay structure:

Provided that if the junior Teacher, Librarian and Physical Training Instructor of Government Polytechnic Colleges (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering) was drawing more pay in the existing pay structure than the senior by virtue of any advance increments granted to him, the provisions of this rule shall not be invoked to step up the pay of the senior Teacher, Librarian and Physical Training Instructor of Government Polytechnic Colleges (Engineering) and Teacher of Government Polytechnic College (Non-Engineering).

18. "Notwithstanding anything contained in these rules, the Revised Pay (AICTE) shall be subject to the condition that the provisions of the Rajasthan Technical Education (Engineering) Service Rules, 2010 and Rajasthan Technical Education (Non-Engineering) Service Rules, 2010 in regard to qualification, mode of recruitment/appointment to different posts, grant of annual increments/conditions of eligibility for senior and selection scales of Lecturer etc. shall be amended strictly in conformity with the guidelines contained in Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, New Delhi letter No. F. 1-37/2016-TS-II dated 23.01.2019 and AICTE Regulation, 2019 dated 01.03.2019 as amended from time to time except age of superannuation and full pension i.e. 50% of average pay or last pay drawn, whichever is higher after 20 years of qualifying service or as prescribed by the Government.

19. **Relaxation of Rules -** Where the Governor is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case, he may, by order, relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

20. Mode of Payment –

(i) **Non Accrual of Arrears** :- Notwithstanding anything contained in these rules, no arrears of pay and allowances thereon, on any account shall accrue to a Government servant, whether existing or appointed between 1st January,2016 to 31st December, 2016 (both days inclusive), for the period upto 31-12-2016.

(ii) **Payment of Arrears**: - The arrears under these rules for the period from 01-01-2017 to 31-12-2018 shall be deposited in GPF account of the employees and the amount of arrear to those appointed on or after 01.01.2004 shall be deposited in GPF-2004 with deduction of Income Tax as per rules.

[No.F.9(2)FD(Rules)/2019]
By order of the Governor,

Siddharth Mahajan,
Secretary, Finance (Budget).

FORM OF OPTION
(See Rule 7 & 8)

*(i) I, ……..hereby elect the revised pay structure with effect from 01.01.2016.

*(ii) I, ……..hereby elect to continue on Running Pay Band and Academic Grade Pay of my substantive/officiating post mentioned below until:-

* the date of my next increment falling on……..
* the date of my subsequent increment raising my pay to Rs…….
* I vacate or cease to draw pay in the existing pay structure/the date of my promotion/upgradation to the post of …….

Existing Running Pay Band ……and Academic Grade Pay…….for the post……..

2. The option hereby exercised is final and will not be modified at any subsequent date.

Undertaking

I hereby undertake that in the event of my pay having been fixed in a manner contrary to the provisions contained in the rules, as detected subsequently, any excess payment so made shall be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise.

Date:- Signature….
…….
Place:- Name
…….
Designation
……..
Office in which employed ……

Received the above declaration

Date:-
Place:- Signature
(Head of the Office)

---

*__To be scored out, if not applicable.__

Schedule-I
{Rule 4(Vii)}
Academic levels of the post in Government Polytechnic College (Engineering) in Pay Matrix

S. No.	Name of the Post	Running Pay Band	Academic Grade Pay (AGP)	Academic Level of the Post	Special Allowance (p.m.)
1	2	3	4	5	6
1	Lecturer/Academic Officer/ Assistant Training and Placement Officer	15600-39100	5400 For B.Tech	AL-9A For B.Tech	
			6000 For M.Tech	AL-10 For M.Tech.	
2	Lecturer Science and Humanities	15600-39100	5400	AL-9A For Master Degree	
		-	-	AL-10 For Master Degree with NET, SLET, SET	
3	Lecturer (Senior Scale)	15600-39100	7000	AL-11	
4	Lecturer (Selection Grade-I)/ Head of Department/Assistant Director	15600-39100	8000	AL-12	
5	Lecturer (Selection Grade-II)/ Head of Department/Assistant Director	37400-67000	9000	AL-13A1	
6	Head of Department / Assistant Director (Existing Directly recruited) who have drawn AGP of 10000 in 6th CPC	37400-67000	10000	AL-14	
7	Principal / Joint Director (Existing) who have drawn AGP of 10000 in 6th CPC	37400-67000	10000	AL-14	2000
8	Head of Department (Newly Selected)	-	-	AL-13A1	-
9	Principal/ Joint Director (Newly Recruited/Selected)	-	-	AL-13A1	2000
10	Director	37400-67000	10000	AL-14	3000
11	Librarian (Ordinary Scale)	15600-39100	6000	AL-10	
12	Librarian (Senior Scale)	15600-39100	7000	AL-11	-
13	Librarian (Selection Grade)	15600-39100	8000	AL-12	-
14	Librarian (Selection Grade) For those who have completed three years of service.	37400-67000	9000	AL-13A1	-

15	Physical Training Instructor (Ordinary Scale)	15600-39100	6000	AL-10	
16	Physical Training Instructor (Senior Scale)	15600-39100	7000	AL-11	
17	Physical Training Instructor (Selection Grade)	15600-39100	8000	AL-12	
18	Physical Training Instructor (Selection Grade) For those who have completed three years of service.	37400-67000	9000	AL-13A1	

Note- Existing Designations, pay and scale of incumbent faculty, Head of the Department and Principals at S. No. 6 and 7 respectively shall be protected and may be placed in appropriate cell in the level corresponding to their AGP drawn on 31.12.2015.

Schedule-II
{Rule 4(Vii)}
Academic levels of the post in Government Polytechnic College (Non-Engineering) in Pay Matrix

S.No.	Name of the Post	Running Pay Band	Academic Grade Pay (AGP)	Academic Level of the Post	Special Allowance
1	2	3	4	5	6
1	Lecturer (Textile Designing, Commercial Arts, Beauty Culture, Costume Design and Dress Making, Interior Design and Decoration, Modern Office Management)	15600-39100	5400	AL-9A	
		-	-	AL-10 For Master's Degree	
2	Lecturer (Senior Scale)	15600-39100	7000	AL-11	
3	Lecturer (Selection Grade-I) / Head of Department	15600-39100	8000	AL-12	
4	Lecturer (Selection Grade-II)/ Head of Department	37400-67000	9000	AL-13A1	
5	Head of Department (Existing)	37400-67000	10000	AL-14	
6	Head of Department (Newly Selected)	-	-	AL-13A1	
7	Principal (Existing)	37400-67000	10000	AL-14	2000
8	Principal (Newly Recruited/Selected)	-	-	AL-13A1	2000

Note:- Existing Designations pay and scale of incumbent faculty, Head of the Department and Principals at Sr. No. 5 and 7 respectively shall be protected and

may be placed in appropriate cell in the level corresponding to their AGP drawn on 31.12.2015.

Schedule-III
{Rule 4(Vii), 4(Viii), 4(ix) & 13}

Pay Matrix for the posts in Government Polytechnic College (Engineering /Non-Engineering)

Running Pay Band	**PB-3 (15600-39100)**				**PB-4 (37400-67000)**	
Existing Academic Grade Pay	**5400**	**6000**	**7000**	**8000**	**9000**	**10000**
Entry Pay	**21000**	**21600**	**25790**	**29900**	**49200**	**53000**
Academic Pay Levels →	**AL-9A**	**AL-10**	**AL-11**	**AL-12**	**AL-13A1**	**AL-14**
IOR	**2.67**	**2.67**	**2.67**	**2.67**	**2.67**	**2.72**
Cell No.↓		**Pay Matrix (Amount In Rs.)**				
1	56100	57700	68900	79800	131400	144200
2	57800	59400	71000	82200	135300	148500
3	59500	61200	73100	84700	139400	153000
4	61300	63000	75300	87200	143600	157600
5	63100	64900	77600	89800	147900	162300
6	65000	66800	79900	92500	152300	167200
7	67000	68800	82300	95300	156900	172200
8	69000	70900	84800	98200	161600	177400
9	71100	73000	87300	101100	166400	182700
10	73200	75200	89900	104100	171400	188200
11	75400	77500	92600	107200	176500	193800
12	77700	79800	95400	110400	181800	199600
13	80000	82200	98300	113700	187300	205600
14	82400	84700	101200	117100	192900	211800
15	84900	87200	104200	120600	198700	218200
16	87400	89800	107300	124200	204700	
17	90000	92500	110500	127900	210800	
18	92700	95300	113800	131700	217100	
19	95500	98200	117200	135700		
20	98400	101100	120700	139800		
21	101400	104100	124300	144000		
22	104400	107200	128000	148300		
23	107500	110400	131800	152700		
24	110700	113700	135800	157300		
25	114000	117100	139900	162000		
26	117400	120600	144100	166900		
27	120900	124200	148400	171900		
28	124500	127900	152900	177100		
29	128200	131700	157500	182400		
30	132000	135700	162200	187900		
31	136000	139800	167100	193500		
32	140100	144000	172100	199300		

33	144300	148300	177300	205300		
34	148600	152700	182600	211500		
35	153100	157300	188100			
36	157700	162000	193700			
37	162400	166900	199500			
38	167300	171900	205500			
39	172300	177100				
40	177500	182400				

Schedule-IV
(Rule 12)

Amount of Fixed Remuneration for Probationer-Trainee

Sr. No.	Academic Level of the Post	Amount of Fixed Remuneration per Month payable w.e.f. 01.01.2017 (Rs.)
1.	AL-9A	39300
2.	AL-10	40000
3.	AL-13A	92000

Note:-

1. The Probationer-trainee shall be entitled only to fixed remuneration as above and he/she will not be entitled to Special Pay, Dearness Allowance, House Rent Allowance, City Compensatory Allowance or any other allowance(s) called by whatever name. Similarly, he/she will not be eligible for grant of Ad-hoc Bonus.
2. No Travelling Allowance shall be admissible for joining as a probationer-trainee. In case journey on duty, he/she shall be allowed T.A. as on tour and in case of transfer only Mileage Allowance on the basis of fixed remuneration shall be admissible. In case of transfer only the actual period required for travel will be treated as on duty.
3. No deduction towards State Insurance shall be made from the fixed remuneration. GPF deduction may be decided as per State rules.
4. Probationer-trainee shall be eligible for Casual Leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year, it shall be admissible in proportion on the basis of completed months.
5. No Deputation Allowance shall be admissible to a Probationer-trainee, if, deputed to 'Foreign Service" for training etc.
6. An existing employee already in regular service shall have an option to opt either for the "Fixed remuneration' or the Pay in the Academic Level in the Pay Matrix (not the Academic Level of his/her new appointment), whichever is beneficial to him/her while he/she is under probation. After successful completion of probation period, Pay shall be fixed as per the rules, where such a Government servant will get due advantage of being in a regular Academic Level earlier, and will get due protection of his/her pay.

7. (i) Probationer-trainee shall earn no leave during the period of probation.

(ii) Female Probationer-trainee shall be granted Maternity Leave as per Rule 103 and 104 of Rajasthan Service Rules, 1951.

(iii) Male Probationer- trainee shall be granted Paternity Leave as per Rule 103A of Rajasthan Service Rules, 1951.

8. Extraordinary Leave may be sanctioned as per provisions of the Rule/Orders of the State Government.

9. Medical facilities/ Mediclaim Insurance coverage for the Probationer-trainee during the period of probation shall be applicable, as applicable to Government servants.

10. Contribution towards New Pension Scheme (NPS) @10% of fixed remuneration shall be made by the Probationer-trainee and employee both.

वित्त विभाग

(नियम अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 07, 2021

विषयः- राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) के अध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) के अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण।

एस.ओ.108 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय(अभियांत्रिकी) के अध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) के अध्यापकों के लिए पुनरीक्षित वेतन (अ.भा.त.शि.प.) तथा उनमें वेतन के नियतन को शासित करने वाले सिद्धांतों को विहित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (i) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) के अध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) के अध्यापकों के लिए पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2021 है

(ii) ये 01.01.2016 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. (i) ये नियम, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) के अध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों, जो समय-समय पर यथा संशोधित, राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010 के अधीन शासित होते हैं तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) के अध्यापकों, जो समय समय पर यथा संशोधित, राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर-अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010 के अधीन शासित

होते हैं और जो अ.भा.त.शि.प. विनियम, 2019 में विहित अपेक्षित अर्हताएं रखते हैं, पर लागू होंगे।

(ii) ये नियम, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) के विद्यमान अध्यापकों के साथ-साथ दिनांक 01.01.2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त अध्यापकों पर लागू नहीं होंगे, जो अ.भा.त.शि.प. विनियम, 2019 में यथा विहित अपेक्षित अर्हता नहीं रखते हैं। ऐसे अध्यापकों को वेतन, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अधीन अनुज्ञेय होगा।

3. निर्वचन की शक्ति.- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो वह सरकार के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चिय अंतिम होगा।

4. परिभाषाएं.- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,-

(i) **"विद्यमान मूल वेतन"** से विहित विद्यमान चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन में आहरित वेतन अभिप्रेत है, किंतु इसमें किसी प्रकार का कोई अन्य वेतन जैसे विशेष वेतन आदि सम्मिलित नहीं है।

(ii) सरकारी कर्मचारी के संबंध में **"विद्यमान चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन"** से 01.01.2016 से ठीक पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर लागू चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन अभिप्रेत है।

(iii) **"विद्यमान राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) अध्यापक"** से राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) का विद्यमान अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक अभिप्रेत है जो 01 जनवरी, 2016 को सेवा में है और राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के अध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2010 के अधीन चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन में वेतन आहरित कर रहा है।

(iv) **"विद्यमान राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) अध्यापक"** से राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) का विद्यमान अध्यापक अभिप्रेत है जो 01 जनवरी, 2016 को सेवा में है और राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय गैर-अभियांत्रिकी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अध्यापकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2013 के अधीन चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन में वेतन आहरित कर रहा है।

(v) **"विद्यमान वेतन संरचना"** से, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) के अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के संबंध में जो, राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के अध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2010 के अधीन तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यायलय (गैर-अभियांत्रिकी) का अध्यापक के संबंध में, जो राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय गैर-अभियांत्रिकी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अध्यापकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2013 के अधीन, इन नियमों के प्रवृत्त होने से ठीक पूर्व की तारीख को या तो अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में, पद पर लागू वेतन आहरित कर रहे है, अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण:- राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) के अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक और राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) के अध्यापक के मामले में, जो भारत से बाहर

प्रतिनियुक्ति पर है या छुट्टी पर है या अन्यत्र सेवा में है या यदि वह किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं कर रहा होता तो एक या अधिक निम्नतर पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा होता, विद्यमान 'चालू वेतन बैंड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन' में ऐसा वेतनमान सम्मिलित है जो उस पद पर लागू होता है जिसे वह, यदि उसकी प्रतिनियुक्ति भारत से बाहर नहीं हुई होती या वह छुट्टी पर नहीं होता या अन्यत्र सेवा में नहीं होता या किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं कर रहा होता तो, धारण कर रहा होता।

(vi) **"विद्यमान परिलब्धियां"** से जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को (i) विद्यमान मूल वेतन और (ii) सूचकांक औसत पर विद्यमान महंगाई भत्ता, अर्थात् 125% की दर से राशि अभिप्रेत है;

(vii) वेतन मैट्रिक्स में **"शैक्षणिक स्तर"** से अनुसूची-I, II और III में यथा उपदर्शित विद्यमान चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन का तत्समान शैक्षणिक स्तर अभिप्रेत है;

(viii) **"वेतन मैट्रिक्स"** से तत्समान विद्यमान चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन को यथा समनुदिष्ट, ऊर्ध्व सैल में व्यवस्थित शैक्षणिक स्तरों के वेतन सहित अनुसूची- III में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स, अभिप्रेत है;

(ix) पद के संबंध में **"पुनरीक्षित वेतन संरचना"** से, अनुसूची- III में यथा उपदर्शित विद्यमान चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन के तत्समान उसमें विनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स और शैक्षणिक स्तर अभिप्रेत है;

(x) पुनरीक्षित वेतन संरचना में **"मूल वेतन"** से वेतन मैट्रिक्स में के विहित शैक्षणिक स्तर में आहरित वेतन अभिप्रेत है, किंतु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन, आदि सम्मिलित नहीं हैं;

(xi) **"पुनरीक्षित परिलब्धियां"** से पुनरीक्षित वेतन संरचना में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) के अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) के अध्यापक का वेतन मैट्रिक्स में के शैक्षणिक स्तर में वेतन अभिप्रेत है।

(xii) **"अनुसूची"** से इन नियमों से संलग्न अनुसूचियां अभिप्रेत है;

(xiii) **"नियमित सेवा"** से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है ऐसी सेवा जो, किसी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) के अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) के अध्यापक द्वारा सुसंगत भर्ती नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् उस पद के लिए उसकी नियुक्ति पर दी गयी हो। तदर्थ आधार पर/अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर की गयी सेवा की कालावधि की गणना नियमित सेवा के रूप में नहीं की जायेगी। दूसरे शब्दों में, सेवा की केवल उस कालावधि की गणना नियमित सेवा के लिए की जायेगी जिसकी गणना वरिष्ठता के लिए की जाती है;

(xiv) **"विशेष भत्ता"** से वह विशेष भत्ता अभिप्रेत है जो अनुसूची-I और II के स्तंभ 6 में यथा उपदर्शित शैक्षणिक स्तर के साथ आहरित किया जायेगा।

5. शैक्षणिक स्तर के पद.- इन नियमों के प्रारंभ से प्रत्येक पद के लिए वेतन मैट्रिक्स में शैक्षणिक स्तर अनुसूची-I और II के स्तंभ 5 में यथा उपदर्शितानुसार होगा।

6. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का आहरण.- इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) का अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक (गैर-अभियांत्रिकी) का अध्यापक, उस पद, जिसे वह 01.01.2016 को धारण कर रहा है या जिस पर उसे 01.01.2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, पर लागू वेतन मैट्रिक्स में के शैक्षणिक स्तर में वेतन आहरित करेगा।

7. विद्यमान वेतन संरचना के चयन का विकल्प.- अनुसूची- I और II में दिये गये वेतन मैट्रिक्स में के पद का शैक्षणिक स्तर, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) के प्रत्येक विद्यमान अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) के अध्यापक पर लागू होगा परन्तु उस तारीख तक, जिसको वह विद्यमान वेतन संरचना में अपनी आगामी या कोई पश्चात्वर्ती वेतन वृद्धि अर्जित न कर ले या जब तक वह अपना पद रिक्त न कर दे या उस समय वेतनमान में वेतन आहरित करना बंद न कर दे, विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करते रहने का चयन कर सकेगा:

परन्तु यह और कि, ऐसे मामलों में जहां किसी सरकारी कर्मचारी को, 01 जनवरी, 2016 और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच, पदोन्नति या उन्नयन या सीएएस के कारण किसी उच्चतर शैक्षणिक ग्रेड वेतन में रखा गया है वहां वह सरकारी कर्मचारी ऐसी पदोन्नति या उन्नयन या, यथास्थिति, सीएएस की तारीख से पुनरीक्षित वेतन संरचना में जाने का चयन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विकल्प ऐसे किसी व्यक्ति को, जो 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् किसी पद पर, चाहे सरकारी सेवा में प्रथम बार या किसी दूसरे पद से स्थानांतरण द्वारा, नियुक्त किया गया हो, अनुज्ञेय नहीं होगा और उसे केवल वेतन मैट्रिक्स के शैक्षणिक स्तर में ही वेतन अनुज्ञेय होगा।

8. विकल्प का प्रयोग.-

(1) नियम 7 के अधीन विकल्प का प्रयोग इन नियमों से संलग्न प्ररूप में लिखित में किया जायेगा ताकि वह इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर-भीतर, इस नियम के उप-नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुंच जाये, परन्तु जहां राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) का कोई अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) का कोई अध्यापक, इन नियमों के जारी होने की तारीख को निलंबनाधीन है या छुट्टी पर है या प्रशिक्षण पर है या भारत के भीतर अन्यत्र सेवा पर है तो, उसके द्वारा, पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन माह के भीतर-भीतर विकल्प का प्रयोग किया जा सकेगा।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सहित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) अध्यापक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) अध्यापकों द्वारा विकल्प की सूचना इन नियमों में संलग्न विहित प्ररूप में निम्नलिखित रीति से दी जायेगी:-

(क) यदि वह कोई प्राध्यापक/ पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक/विभागाध्यक्ष है, तो संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को।

(ख) सेवानिवृत्त को सम्मिलित करते हुए, यदि वह कोई प्रधानाचार्य/संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक है, तो तकनीकी शिक्षा निदेशालय के लेखाधिकारी को।

(ग) यदि वह, इन नियमों के जारी होने की तारीख को राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) का कोई सेवानिवृत्त अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) का कोई अध्यापक है, किंतु 01.01.2016 को वह राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) का अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) का कोई अध्यापक था तो, उस राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ था, के प्रधानाचार्य को या, यथास्थिति, तकनीकी शिक्षा निदेशालय के लेखाधिकारी को।

(3) (i) यदि विकल्प संबंधी सूचना उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर प्राप्त न हुई हो तो, यह समझा जायेगा कि राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) के अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) के अध्यापक, ने 01.01.2016 से इन नियमों के अधीन वेतन आहरित करने का चयन किया है।

(ii) जहां विहित कालावधि के भीतर-भीतर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) के किसी अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) के किसी अध्यापक की विहित कालावधि के भीतर विकल्प देने से पूर्व मृत्यु हो जाती है या इन नियमों के जारी होने से पूर्व मृत्यु हो गयी थी वहां यह समझा जायेगा कि उसने विद्यमान वेतन संरचना या इन नियमों के अधीन पुनरीक्षित वेतन संरचना, जो भी उसके लिए लाभप्रद हो, के लिए विकल्प दिया है और उसका वेतन तदनुसार नियत किया जायेगा।

(4) विकल्प का एक बार किया गया प्रयोग अंतिम होगा।

9. राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) के विद्यमान अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) के अध्यापक का वेतन मैट्रिक्स में के शैक्षणिक स्तर में प्रारंभिक वेतन का नियतन.- राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) का अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) का अध्यापक, जो नियम 8 के अधीन चयन करता है या चयन किया हुआ समझा जाता है, का वेतन, 01 जनवरी, 2016 को और से, पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित किया जाना है, जब तक कि किसी मामले में राज्यपाल, विशेष आदेश द्वारा, अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करें, उस स्थायी पद पर जिस तरह धारणाधिकार रखता है या जिस पर धारणाधिकार रखता यदि ऐसा धारणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता, उसके अधिष्ठायी वेतन के संबंध में और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद में उसके वेतन के संबंध में, निम्नलिखित रीति से पृथक रूप से नियत किया जायेगा, अर्थात्:-

(i) वेतन मैट्रिक्स में लागू शैक्षणिक स्तर में वेतन, ऐसा वेतन होगा जो विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के गुणनखंड से गुणा करके, निकटतम रुपए तक पूर्णांकित करके प्राप्त किया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या को वेतन मैट्रिक्स में शैक्षणिक स्तर में स्थापित किया जायेगा और यदि ऐसी समरूप संख्या वेतन मैट्रिक्स के लागू शैक्षणिक स्तर में किसी सैल के तत्समान है तो वही वेतन होगा, और यदि ऐसा कोई भी सैल लागू शैक्षणिक स्तर में उपलब्ध नहीं है तो वेतन मैट्रिक्स में उस लागू शैक्षणिक स्तर में ठीक अगले उच्चतर सैल पर नियत किया जायेगा।

(ii) यदि न्यूनतम वेतन अथवा वेतन मैट्रिक्स में लागू शैक्षणिक लेवल में का प्रथम सैल उपर्युक्त उप-खण्ड (i) के अनुसार प्राप्त रकम से अधिक हो तो वेतन, न्यूनतम वेतन पर या उस लागू शैक्षणिक स्तर के प्रथम सैल पर, नियत किया जायेगा।

10. वेतन मैट्रिक्स में वेतनवृद्धियां.- वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में लागू शैक्षणिक स्तर के ऊर्ध्व सैल में यथा विनिर्दिष्टानुसार होगी।

11. पुनरीक्षित वेतन संरचना में आगामी वेतन वृद्धि की तारीख.-

(1) वार्षिक वेतन वृद्धि की एकरूप तारीख अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जुलाई, होगी। प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई को वेतन मैट्रिक्स के किसी लेवल में 6 माह और उससे अधिक का समय पूर्ण करने वाले कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि मंजूर किए जाने के पात्र होंगे। इन नियमों के अधीन वेतन के नियतन के पश्चात् कर्मचारी के विकल्प के अनुसार प्रथम वेतन वृद्धि, इन नियमों के अधीन विद्यमान चालू वेतन बैण्ड और वेतन मैट्रिक्स में किसी लेवल में दी गयी सेवा की कालावधि की संगणना करके 6 माह पूर्ण होने पर मंजूर की जायेगी।

(2) प्रत्येक नवभर्ती को परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर 01 जुलाई जो, परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तारीख के ठीक पश्चात् होगी, को प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात की जायेगी।

12. परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के लिए नियत पारिश्रमिक की रकम.- परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी, परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान नियत पारिश्रमिक आहरित करेगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर ही उसे पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन अनुज्ञेय होगा। ये उपबंध विद्यमान परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के साथ-साथ ही नवभर्त व्यक्तियों पर भी लागू होंगे। नियत पारिश्रमिक, इन नियमों से संलग्न अनुसूची-IVIV में यथा उपदर्शित होगा।

13. 01.01.2016 को या उसके पश्चात् सफलतापूर्वक परिवीक्षा प्रशिक्षण कालावधि पूर्ण करने वाले परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का नियतन.- किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को परिवीक्षा प्रशिक्षण कालावधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर अनुसूची-III के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में शैक्षणिक स्तर (प्रथम सैल) के न्यूनतम पर, उस पद पर जिस पर वह नियुक्त है, लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन अनुज्ञेय होगा:

परन्तु यदि कोई सरकारी कर्मचारी जो राज्य सरकार की नियमित सेवा में पहले से है, परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में अध्यापक/पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है और जिसने परिवीक्षा के दौरान पूर्व पद का वेतन आहरित करने का विकल्प दिया है, परिवीक्षाकाल की सफलतापूर्वक समाप्ति पर उसका वेतन राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नियत किया जायेगा।

14. 01.01.2016 को या उसके पश्चात् पदोन्नति पर वेतन का नियतन.- पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक शैक्षणिक स्तर से दूसरे में पदोन्नति होने पर वेतन का नियतन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात:-

एक वेतन वृद्धि उस शैक्षणिक स्तर में दी जायेगी, जिस से कर्मचारी को पदोन्नत किया गया है और उसे उस पद, जिस पर पदोन्नत किया गया है, के स्तर पर इस प्रकार प्राप्त अंक के बराबर किसी सैल में रखा जायेगा और यदि ऐसे शैक्षणिक स्तर में, जिसमें पदोन्नत किया गया है, ऐसा कोई सैल उपलब्ध नहीं है तो उसे उस शैक्षणिक स्तर के अगले उच्चतर सैल में रखा जायेगा।

15. महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और समस्त भत्ते, सुविधाएं आदि, यदि अनुज्ञेय हों, वेतन मैट्रिक्स में के शैक्षणिक स्तर में वेतन अर्थात् मूल वेतन पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुसार देय होंगे। मकान किराया भत्ता और नगर क्षतिपूर्ति भत्ता 01.10.2017 से देय होगा।

16. सरकारी आवास, आदि जैसी सुविधाएं राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए विहित ग्रेड वेतन के तत्समान शैक्षणिक स्तर द्वारा शासित होंगी।

17. वेतन विसंगतियों का निराकरण.- ऐसे मामलों में जहां राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) का वरिष्ठ अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) का अध्यापक, 01.01.2016 से पूर्व उच्चतर पद पर पदोन्नत किया गया है, पुनरीक्षित वेतन संरचना में अपने कनिष्ठ, जो 01.01.2016 को या उसके पश्चात् उच्चतर पद पर पदोन्नत किया गया है, से कम वेतन आहरित करता है, वहां ऐसे राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) के वरिष्ठ अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) के अध्यापक, का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन, उस उच्चतर पद में उसके कनिष्ठ के लिए यथा नियत वेतन के समान रकम तक बढ़ाया जायेगा और ऐसी बढ़ोतरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन रहते हुए राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) के कनिष्ठ अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) के अध्यापक की पदोन्नति की तारीख से प्रभावी होगी, अर्थात्:-

(क) दोनों कनिष्ठ और वरिष्ठ, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) के अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) के अध्यापक, समान संवर्ग के ही हों और वे पद जिन पर उन्हें पदोन्नत किया गया हो, एक ही संवर्ग में समरूप हों;

(ख) निम्नतर और उच्चतर पदों की विद्यमान वेतन संरचना और पुनरीक्षित वेतन संरचना जिनमें वे वेतन आहरित करने के हकदार हैं, समरूप हों;

(ग) पदोन्नति के समय, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) का वरिष्ठ अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) का अध्यापक, कनिष्ठ के समान या उससे अधिक वेतन आहरित कर रहा हो;

(घ) विसंगति, प्रत्यक्षत: पुनरीक्षित वेतन संरचना में पदोन्नति पर वेतन-नियतन विनियमित करने वाले राजस्थान सेवा नियम के नियम 26क के उपबंधों के लागू होने के परिणामस्वरूप हो:

परन्तु, यदि राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का कनिष्ठ अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) का अध्यापक, उसे मंजूर की गयी किसी अग्रिम वेतन वृद्धि के कारण विद्यमान वेतन संरचना में वरिष्ठ से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) के वरिष्ठ अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) के अध्यापक, के वेतन में बढ़ोतरी के लिए इस नियम के उपबंध का अवलंब नहीं लिया जायेगा।

18. इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिवार्षिकी की आयु और पूर्ण पेंशन अर्थात् 20 वर्ष की अर्हक सेवा या सरकार द्वारा यथा विहित के अनुसार औसत वेतन या अंतिम आहरित वेतन, जो भी अधिक हो, के 50 प्रतिशत के सिवाय, पुनरीक्षित वेतन (अ.भा.त.शि.प.) इस शर्त के अध्यधीन होगा कि प्राध्यापक इत्यादि की अर्हता, विभिन्न पदों पर भर्ती की रीति, नियुक्ति, वार्षिक वेतन वृद्धियों की मंजूरी/वरिष्ठ और चयन वेतनमानों के लिए पात्रता की शर्तों के संबंध में राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010 और राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर-अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010 के उपबंधों को, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली पत्र क्रमांक एफ.1-37/2016 TS-II दिनांक 23.01.2019 और समय-समय पर यथा संशोधित अ.भा.त.शि.प. विनियम, दिनांक 01.03.2019 में अंतर्विष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों का सर्वथा अनुपालन करते हुए संशोधित किये जायेंगे।

19. नियमों का शिथिलीकरण.- जहां राज्यपाल का यह समाधान हो जाये कि, किसी विशिष्ट मामले में इनमें से किसी भी नियम के प्रर्वतन से असम्यक् कठिनाई होती है वहां वह, आदेश द्वारा, उस नियम की आवश्यकताओं को, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिल कर सकेगा जिन्हें वह ऐसे मामले से न्यायोचित एवं साम्यपूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने।

20. संदाय की रीति.-

(i) **बकाया का प्रोद्भूत न होना.-** इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सरकारी कर्मचारी को, चाहे वह विद्यमान हो या 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016(दोनों दिन सम्मिलित) के बीच नियुक्त किया गया हो, किसी भी कारण वेतन और उस पर के भत्तों का 31.12.2016 तक की कालावधि का कोई भी बकाया प्रोद्भूत नहीं होगा।

(ii) **बकाया का संदाय.-** इन नियमों के अधीन 01.01.2017 से 31.12.2018 तक की कालावधि के लिए बकाया, कर्मचारियों के साधारण भविष्य निधि खाते में निक्षिप्त किये जायेंगे और 01.01.2004 को या उसके पश्चात् कर्मचारियों को नियमानुसार आयकर की कटौती के साथ साधारण भविष्य निधि-2004 में निक्षिप्त किये जायेंगे।

[सं. एफ. 9(2)एफडी (रूल्स)/2019]
राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार शर्मा,
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)।

विकल्प का प्ररूप

(नियम 7 और 8 देखिए)

*(i) मैं,.....तारीख 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना अपनाने हेतु इसके द्वारा चयन करता/करती हूँ।

*(ii) मैं,.....अपने अधिष्ठायी/स्थानापन्न पद के चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन में निम्नलिखित तारीख तक बने रहने का इसके द्वारा चयन करता/करती हूँ:-

* मेरी अगली वेतन वृद्धि की तारीख..... तक।
* मेरी उस पश्चात्वर्ती वेतन वृद्धि की तारीख तक जब मेरा वेतन रू.....हो जाता है।
* उस तारीख तक जिसको मैं विद्यमान पद रिक्त कर दूँ या विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना समाप्त हो जाये/ .....के पद पर मेरी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख तक।

.....पद के लिए विद्यमान चालू वेतन बैण्ड..... और शैक्षणिक ग्रेड वेतन.....

2. इसके द्वारा प्रयुक्त विकल्प अंतिम है और यह किसी पश्चात्वर्ती तारीख को उपान्तरित नहीं किया जायेगा।

वचनबंध

मैं इसके द्वारा वचन देता/देती हूँ कि नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों से प्रतिकूल किसी रीति से नियत किये गये वेतन का संदाय होने की दशा में, जो बाद में ध्यान में आया हो, इस प्रकार किये गये किसी अधिसंदाय का मेरे द्वारा प्रतिदाय सरकार को, या तो मुझे भविष्य में होने वाले संदायों के प्रति समायोजन द्वारा या अन्यथा, कर दिया जायेगा।

दिनांक:- हस्ताक्षर.....

स्थान:- नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय जिसमें नियोजित है.....

उपर्युक्त घोषणा प्राप्त हुई

दिनांक:-

स्थान:-

हस्ताक्षर

(कार्यालयाध्यक्ष)

---

* **यदि लागू नहीं हो तो काट दिया जाये।**

अनुसूची-I

(नियम4(vii))

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी) में के पद का वेतन मेट्रिक्स में शैक्षणिक स्तर

क्र.सं.	पद का नाम	चालू वेतन बैण्ड	शैक्षणिक ग्रेड वेतन (एजीपी)	पद का शैक्षणिक स्तर	विशेष भत्ता (प्र.मा.)
1	2	3	4	5	6
1	प्राध्यापक/शैक्षणिक अधिकारी/सहायक प्रशिक्षण एवं नियोजन अधिकारी	15600-39100	5400, बी.टेक के लिए	ए.एल- 9क, बी.टेक के लिए	-
			6000, एम.टेक के लिए	ए.एल-10, एम.टेक के लिए	
2.	प्राध्यापक विज्ञान और मानविकी	15600-39100	5400	ए.एल-9क, स्नातकोत्तर डिग्री के लिए	-
		-	-	ए.एल-10, नेट, स्लेट, सेट के साथ स्नातकोत्तर डिग्री	
3.	प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान)	15600-39100	7000	ए.एल-11	-
4.	प्राध्यापक (चयन ग्रेड-II) /विभागाध्यक्ष/सहायक निदेशक	15600-39100	8000	ए.एल-12	-
5.	प्राध्यापक (चयन ग्रेड-IIII) /विभागाध्यक्ष/सहायक निदेशक	37400-67000	9000	ए.एल-13क1	-
6.	विभागाध्यक्ष/सहायक निदेशक (विद्यमान, सीधे तौर पर भर्ती किये गये) जिन्होंने छठे सीपीसी में 10000 का एजीपी आहरित किया है	37400-67000	10000	ए.एल -14	
7.	प्रधानाचार्य/संयुक्त निदेशक (विद्यमान) जिन्होंने छठे सीपीसी में 10000 का एजीपी आहरित किया है	37400-67000	10000	ए.एल-14	2000
8.	विभागाध्यक्ष(नवचयनित)	-	-	ए.एल-13क1	-

9.	प्रधानाचार्य/संयुक्त निदेशक (नवीन भर्ती/चयनित)	-	-	ए.एल-13क1	2000
10.	निदेशक	37400-67000	10000	ए.एल-14	3000
11.	पुस्तकालयाध्यक्ष (साधारण वेतनमान)	15600-39100	6000	ए.एल-10	
12.	पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)	15600-39100	7000	ए.एल-11	
13.	पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड)	15600-39100	8000	ए.एल-12	
14.	पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड) उनके लिए जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है	37400-67000	9000	ए.एल-13क1	
15.	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (साधारण वेतनमान)	15600-39100	6000	ए.एल-10	
16.	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (वरिष्ठ वेतनमान)	15600-39100	7000	ए.एल-11	
17.	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (चयन ग्रेड)	15600-39100	8000	ए.एल-12	
18.	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (चयन ग्रेड)। उनके लिए जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है।	37400-67000	9000	ए.एल-13क1	

टिप्पणः- पदधारी संकाय के विभागाध्यक्ष और क्रमशः क्रम संख्या 6 और 7 पर प्रधानाचार्यों के विद्यमान पदनाम, वेतन और वेतनमान, को संरक्षित किया जायेगा और 31.12.2015 को उनके आहरित एजीपी के तत्समान लेवल में समुचित सैल में रखा जा सकेगा।

अनुसूची-II

(नियम 4 (vii))

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (गैर-अभियांत्रिकी) में के पद के लिए वेतन मेट्रिक्स में शैक्षणिक स्तर

क्र.सं.	पद का नाम	चालू वेतन बैण्ड	शैक्षणिक ग्रेड वेतन (एजीपी)	पद का शैक्षणिक स्तर	विशेष भत्ता
1	2	3	4	5	6
1	प्राध्यापक (टेक्सटाइल डिजाइनिंग, वाणिज्यिक कला, ब्यूटी कल्चर, कॉस्ट्यूम डिजाइन और ड्रेस मेकिंग, इंटीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन, आधुनिक कार्यालय प्रबन्धन)	15600-39100	5400	ए.एल-9क	
				ए.एल-10 स्नातकोत्तर डिग्री के लिए	
2.	प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान)	15600-39100	7000	ए.एल-11	-
3.	प्राध्यापक (चयन ग्रेड-II) /विभागाध्यक्ष	15600-39100	8000	ए.एल-12	
4.	प्राध्यापक (चयन ग्रेड-IIII) /विभागाध्यक्ष	37400-67000	9000	ए.एल-13क1	-
5.	विभागाध्यक्ष (विद्यमान)	37400-67000	10000	ए.एल-14	-
6.	विभागाध्यक्ष (नव चयनित)			ए.एल-13क1	
7.	प्रधानाचार्य(विद्यमान)	37400-67000	10000	ए.एल-14	2000
8.	प्रधानाचार्य/(नवभर्त/चयनित)	-	-	ए.एल-13क1	2000

टिप्पणः- पदधारी संकाय के विभागाध्यक्ष और क्रमशः क्रम संख्या 5 और 7 पर प्रधानाचार्यों के विद्यमान पदनाम, वेतन और वेतनमान, को संरक्षित किया जायेगा और 31.12.2015 को उनके आहरित एजीपी के तत्समान लेवल में समुचित सैल में रखा जा सकेगा।

अनुसूची-III

(नियम 4 (vii), 4 (viii), 4 (ix), एवं 13)

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (अभियांत्रिकी/गैर-अभियांत्रिकी) में के पदों के लिए वेतन मैट्रिक्स

चालू वेतन बैण्ड	पीबी-3 (15600-39100)				पीबी-4 (37400-67000)	
विद्यमान शैक्षणिक ग्रेड वेतन	5400	6000	7000	8000	9000	10,000
प्रवेश वेतन	21000	21600	25790	29900	49200	53000
शैक्षणिक वेतन स्तर	ए.एल-9क	ए.एल-10	ए.एल-11	ए.एल-12	ए.एल-13क1	ए.एल-14
सूचक	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.72
सैल सं.		वेतन मेट्रिक्स (रकम रू. में)				
1	56100	57700	68900	79800	131400	144200
2	57800	59400	71000	82200	135300	148500
3	59500	61200	73100	84700	139400	153000
4	61300	63000	75300	87200	143600	157600
5	63100	64900	77600	89800	147900	162300
6	65000	66800	79900	92500	152300	167200
7	67000	68800	82300	95300	156900	172200
8	69000	70900	84800	98200	161600	177400
9	71100	73000	87300	101100	166400	182700
10	73200	75200	89900	104100	171400	188200
11	75400	77500	92600	107200	176500	193800
12	77700	79800	95400	110400	181800	199600
13	80000	82200	98300	113700	187300	205600
14	82400	84700	101200	117100	192900	211800
15	84900	87200	104200	120600	198700	218200
16	87400	89800	107300	124200	204700	
17	90000	92500	110500	127900	210800	
18	92700	95300	113800	131700	217100	
19	95500	98200	117200	135700		

20	98400	101100	120700	139800		
21	101400	104100	124300	144000		
22	104400	107200	128000	148300		
23	107500	110400	131800	152700		
24	110700	113700	135800	157300		
25	114000	117100	139900	162000		
26	117400	120600	144100	166900		
27	120900	124200	148400	171900		
28	124500	127900	152900	177100		
29	128200	131700	157500	182400		
30	132000	135700	162200	187900		
31	136000	139800	167100	193500		
32	140100	144000	172100	199300		
33	144300	148300	177300	205300		
34	148600	152700	182600	211500		
35	153100	157300	188100			
36	157700	162000	193700			
37	162400	166900	199500			
38	167300	171900	205500			
39	172300	177100				
40	177500	182400				

अनुसूची-IV
(नियम 12)

परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के लिये नियत पारिश्रमिक की रकम

क्र. सं.	**पद का शैक्षणिक स्तर**	01.01.2017 से प्रतिमाह संदेय नियत पारिश्रमिक की रकम (रू.)
1.	ए.एल-9क	39300
2.	ए.एल-10क	40000
3.	ए.एल-13क	92000

टिप्पणः-

1. परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी उपरोक्तानुसार नियत पारिश्रमिक का ही हकदार होगा और वह विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता या किसी भी अन्य भत्ते (भत्तों), जिस भी नाम से जाना जाये, पाने का हकदार नहीं होगा/होगी। इसी प्रकार, वह तदर्थ बोनस की मंजूरी का पात्र नहीं होगा/होगी।

2. परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा। ड्यूटी पर यात्रा की दशा में उसे दौरे पर यात्रा भत्ता अनुज्ञात किया जायेगा और स्थानांतरण के मामले में नियत पारिश्रमिक के आधार पर केवल मील भत्ता अनुज्ञेय होगा स्थानांतरण के मामले में यात्रा के लिए अपेक्षित केवल वास्तविक कालावधि को ही ड्यूटी के रूप में माना जायेगा।

3. नियत पारिश्रमिक से राज्य बीमा के पेटे कोई भी कटौती नहीं की जायेगी। साधारण भविष्य निधि की कटौती राज्य नियमों के अनुसार विनिश्चित की जा सकेगी।

4. परिविक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी एक कलेंडर वर्ष में 15 दिवस के आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा और एक कलेंडर वर्ष से कम की कालावधि के लिए ये पूर्ण मासों के आधार पर आनुपातिक रूप में अनुज्ञेय होंगी।

5. किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को कोई भी प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा यदि प्रशिक्षण इत्यादि के लिए "अन्यत्र सेवा" में प्रतिनियुक्त किया गया हो।

6. नियमित सेवा में पहले से विद्यमान कर्मचारी को जब वह परिवीक्षाधीन हो, या तो "नियत पारिश्रमिक" या वेतन मैट्रिक्स में के शैक्षणिक स्तर (उसकी नयी नियुक्ति का शैक्षणिक स्तर नहीं) में वेतन, जो भी उसके लिए फायदेमंद हो, के लिए विकल्प देने का विकल्प होगा। परिवीक्षा कालावधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् वेतन नियमों के अनुसार नियत किया जायेगा, जहां ऐसे किसी सरकारी कर्मचारी को पूर्व में किसी शैक्षणिक स्तर में होने के कारण सम्यक् फायदा मिल रहा हो वहां परिवीक्षा की कालावधि को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् वेतन, नियमों के अनुसार नियत किया जायेगा और उसे उसके वेतन का सम्यक् संरक्षण प्राप्त होगा।

7. (i) परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी परिवीक्षाकाल के दौरान कोई भी छुट्टी अर्जित नहीं करेगा।

(ii) महिला परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103 और 104 के अनुसार मातृत्व छुट्टी मंजूर की जायेगी।

(iii) पुरुष परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103क के अनुसार पितृत्व छुट्टी मंजूर की जायेगी

8. असाधारण छुट्टी राज्य सरकार के नियम/आदेशों के उपबंधों के अनुसार स्वीकृत की जायेगी।
9. परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के लिए चिकित्सा सुविधा/मेडिक्लेम बीमा कवरेज परिवीक्षाकाल के दौरान उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होता है।
10. नियत पारिश्रमिक के 10% की दर से नयी पेंशन स्कीम के प्रति परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी और कर्मचारी दोनों के द्वारा अभिदाय किया जायेगा।

Government Central Press, Jaipur.